कार्यालय संयुक्त निदेशक, आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांक/एम0एफ0सी0/1934 दिनांकः06.02.2021

पेंड़ों की बिक्री हेतु नीलामी की सूचना

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0, पन्तनगर के आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र पर उपलब्ध 1751 पॉपुलर एवं 73 यूकेलिप्टस प्रजाति के वृक्षों की बिक्री दिनांक 04.03.2021 सांय 5.00 बजे तक ठेकेदारों/अधिकृत फर्मो से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उपरोक्त का पूर्ण विवरण एवं बिक्री/नीलामी की शर्तें हेतु आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र के कार्यालय से दिनांक 07.02.2021 प्रातः 8.00 बजे से दिनांक 04.03.2021 सॉय 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में निविदा प्रपत्र रू0 2240.00 (सभी कर सहित) प्रति निविदा के भुगतान की दर से प्राप्त किया जा सकता है जो कि अप्रतिदेय होगा। निविदायें संयुक्त निदेशक के कार्यालय में दिनांक 05.03.2021 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे निविदासमिति द्वारा खोली जायेंगी तथा केवल उन्ही ठेकेदारों/फर्मो की स्वीकार की जायेगी जो दिनांक 04.03.2021 को सॉय 5.00 बजे तक जमा होगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता पेड़ों का भलीभॉति निरीक्षण कर लें तथा ऑधी–तुफान के कारण क्षतिग्रस्त अवशेषों सहित वृक्षों का निरीक्षण करके ही निविदा प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/शिकायत स्वीकार नही की जायेगी।

क्रं सं	वृक्ष प्रजाति	वृक्षों की संख्या
1	पापलर	1751
2	यूकेलिप्टस	73

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. बन्द निविदायें साधारण डाक, पंजीकृत डाक एवं केन्द्र पर रखी गयी निविदा पेटी मे भी क्यक्तिगत रूप से भी डाली जा सकती हैं निविदा पेटी में दिनांक **04.03.2021** को अपरान्ह् **5.00** बजे तक डाली जा सकती हैं। डाक में होने वाले विलंब के लिए केन्द्र उत्तरदायी नही होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक **05.03.2021** को पूर्वान्ह् **11.00** बजे निविदा समिति द्वारा आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र पर खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि खुलने के समय उपस्थित हो सकता हैं।

3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त कुल धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि की दर से धरोहर राशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक (जो कि नियंत्रक, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के नाम जो भारतीय स्टेट बैक/पंजाब नेशनल बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया पर देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा प्रपत्र स्वीकार नही होगा।

4. स्वीकृत निविदा दरों की 70 प्रतिशत धनराशि पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर अग्रिम भुगतान के रूप में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा केन्द्र पर जमा करनी होगी। शेष धनराशि 30 प्रतिशत माल निकासी करने से पूर्व जमा करनी होगी। अन्यथा माल निकासी की अनुमति नही दी जायेगी।

5. सफल क्रेता को निविदा स्वीकृत होने के 15 दिन में अपने खर्च पर रू0 100.00 के नोटराइजड नानजुडिशियल स्टॉम्प पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

6. वृक्षों के विक्रय मूल्य पर निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभाग में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद समन्वित आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात ही माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।

क्रमंशः........2

7. वृक्ष जैसा है जंहा है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षों की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र का नहीं होगा। अतः निविदादाता निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षों का भली–भंति निरीक्षण स्वयं कर लें। नीलामी हो जाने के उपरान्त वृक्षों मेें किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

8. विश्वविद्यालय/आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र के नियमित कर्मचारियों/अधिकारी उनके परिवार के सदस्य जैसे पत्नी, बेटा, बेटी अथवा बहू के नाम से कोई भी निविदा डालने के पात्र नही होगें।

9. वृक्षों की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।

10. क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा केन्द्र की किसी सम्पत्ति का नुकसान पहुॅचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

11. किसी भी निविदा अथवा निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति में निहित है।

12. क्रेता द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर /Performance-Guarantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. इस विक्रय के लिए अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर सोल आर्विट्रटेर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

14. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर वृक्षों की ढुलाई आवश्यक होगी, अन्यथा प्रतिदिन की दर से रू0 100.00 विलम्ब का शुल्क क्रेता द्वारा जमा करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् बिक्री निरस्त कर धरोहर राशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

15. वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन के भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रंमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासों एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं।

16. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष की जड़ के पास 15 X 15 सेमी0 का गढ्ढा धन छाप लगा दी जायेगी। उक्त धन की छाप वाले वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेगें। तथा जहॉ आवश्यक हो वहां वृक्ष की जड़ का खुदान कराना भी अनिवार्य होगा।

17. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को कटी हुई लकड़ी को देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

18. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय प्रभाग, रूद्रपुर के आदेशानुसार क्रेता से एक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के वृक्षारोपण (छूट प्रजाति को छोड़कर) रू0 100.00 प्रति वृक्ष के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय के नाम पर निरूपित (राष्ट्रीय बचत–पत्र) उक्त कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से साक्ष्य के साथ केन्द्र को देनी होगी।

19. क्रेता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारियों का परिचय–पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में अवांछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

20. क्रेता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व पैन कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी आवश्यक है।

संयुक्त निदेशक
आदर्श पुष्पविज्ञान केन्द्र